निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1246) पटना, वृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025

सं०सं०–14 / विविध–20 / 2025–1868(14) / स्वा०
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प
4 जुलाई 2025

विषयः–बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के नागरिकों, जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, के असाध्य रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–271(14) दिनांक–15.02.2018 द्वारा अनुदान की राशि, असाध्य रोगों का निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित है।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीमार होने की स्थिति में ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा नहीं होने के कारण ईलाज करने में कठिनाई हो रही है। विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 के कंडिका–5 में प्रावधानित है कि उपर्युक्त सुविधा वैसे राज्य सरकार के लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी यह सुविधा दी जा सकती है जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम में प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेगें। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

3. उक्त के क्रम में इन जनप्रतिनिधियों को ईलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति पंचायती राज विभाग की अनुशंसा के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 की कंडिका–4 में गठित समिति की समीक्षा में अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा। पंचायती राज विभाग को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने संबंधी आवेदन की अनुशंसा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन के साथ–साथ सरकारी / सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन एवं चिकित्सा पूर्जा की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न हो। उपरोक्त दोनों कागजातों के संलग्न नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

4. इन जनप्रतिनिधियों को ईलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के लिए अधिकतम आय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

5. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1246-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in